न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–11/2019 (2019/00146) बाजदायर दिनांक 25.02.2019

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

श्री गणेश पिता हरराम गूजर, उम्र बालिग निवासी चावण्डिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर ,जिला–भीलवाड़ा।

–विपक्षी

वकिल प्रार्थी:–श्री जगदीश चन्द्र व्यास

विपक्षी:– पेरोकार सरकार

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

निर्णय

दिनांक 29.01.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट विपक्षी के विरुद्ध दिनांक 19.08.2011 को पेश किया जिसे मुकदमा नं0 36/2011 उनवान गणेश बनाम सरकार दर्ज किया गया। यह कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे शुदा ग्राम चावण्डिया तहसील पटवार हल्का चावण्डिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्के आबादी में आराजी संख्या 203/3 रकबा 5 बीघा खातेदारी में दर्ज थी। ग्राम चावण्डिया में भूप्रबंध होने से प्रार्थी की पुरानी कृषि आराजी संख्या 203/3 रकबा 5 बीघा का वर्तमान रकबा 0.86 हे0 दर्ज कर दिया जो गलत है। जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की गई कि प्रार्थी के नाम पर वर्तमान आराजी संख्या 245 का रकबा 1.08 हे0 पर दर्ज कराये जाने व पुराने नक्शा अनुसार वर्तमान नक्शा दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जाने का निवदेन किया । प्रकरण में पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर खारिज करने हेतु निवेदन किया । प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गई मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के तीन तरफ रास्ता एवं सडक बनी हुई है। एवं पूर्वी तरफ अन्य खातेदारान की भूमि स्थित होकर उनके दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का कब्जा कम होने [illegible] कब्जे अनुसार रकबा कायम किया गया है जो सही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:07:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

जिराकी ताईद प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र सिद्ध कराने में असफल होने से राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट चावण्डिया दिनांक 01.07.20215 को खारिज किया जाकर फैसल शुमार किया गया।

प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के यहां अपील की गई। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त , अजमेर द्वारा दिनांक 08.02.2018 को प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.07.2015 को अपास्त किया जाकर निर्देश दिये गये कि अपीलांट की साबिक आराजियात से हाल बंदोबस्त के दौरान कायम खसरा नंबरों में कम हुआ रकबा किन खसरा नम्बरों में सम्मिलित हुआ है आदि की पुष्टि के संबंध में पटवारी हल्का , अपीलांट व पड़ौसी काष्तकारों के साबिक व हाल खसरा नंबरों एवं रकबा बरारी करवा कर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर , उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करें।

जिस पर प्रकरण दिनांक 25.02.2019 को बाजदायर किया जाकर उभय पक्ष को सुचित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार सहाड़ा द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के गत भू–माप खसरा संख्या 203/3 रकबा 5.00 बीघा दर्ज थी। जिसके नवीन नम्बर 245 रकबा 0.86 हे0 बनाये गये है। इस आराजी के उत्तर दिशा में आराजी नं0 244 गे0मु0 सड़क स्थित है। दक्षिण दिशा में आराजी नं0 386 रकबा 1.65 हे0 गे0मु0पाल दर्ज रेकार्ड है। लेकिन मौके पर कोई पाल आदि नहीं होकर कच्चा रास्ता लगभग 25 फीट का गुजर रहा है। पष्चिम दिशा में आराजी नं0 630 गे0मु0 सड़क स्थित है। पूर्व दिशा में प्रार्थी के भाई डालू पिता हरिराम गुजर सा0 देह की आराजी नं0 246, 247, 385 स्थित है। भाई व प्रार्थी की भूमि एक ही चक में स्थित है। जिसमें से आराजी नं0 246 रकबा 0.10 हे0, 247 रकबा 0.08 हे0, 385 रकबा 0.04 कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हे0 भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होना बताया। इस आराजी के तीन तरफ थोहर बाड़ पिलर जाली लगी हुई है। भूप्रबंध विभाग द्वारा गत 5 बीघा भूमि के मुकाबले 0.86 हे0 ही भूमि दर्ज की। जबकि 1.08 हे0 दर्ज होनी चाहिए। नक्शा भी गत के मुकाबले नहीं बना कर आकृति चेन्ज कर दी है। मौके पर प्रार्थी का भाई डालू पिता हरिराम गुजर का पुत्र रूपलाल पिता डालू गुर्जर उक्त भूमि के नक्शा गत अनुसार सही करवाने एवं आराजी नं0 246 रकबा 0.10 हे0, 247 रकबा 0.08 हे0, 385 रकबा 0.04 कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हे0 प्रार्थी के नाम करवाने को सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:07:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)

2.

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :—11/2019 (2019/00146)
प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

प्रार्थी के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में राजस्व रेकार्ड पेश किया साथ ही पेरोकार सरकार का जवाब एवं मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जिससे भाई व प्रार्थी की भूमि एक ही चक में स्थित है। जिसमें से आराजी नं0 246 रकबा 0.10 हे0, 247 रकबा 0.08 हे0, 385 रकबा 0.04 कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हे0 भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होना बताया। इस आराजी के तीन तरफ थोहर बाड़ पिलर जाली लगी हुई है। भूप्रबंध विभाग द्वारा गत 5 बीघा भूमि के मुकाबले 0.86 हे0 ही भूमि दर्ज की। जबकि 1.08 हे0 दर्ज होनी चाहिए। नक्शा भी गत के मुकाबले नहीं बना कर आकृति चेन्ज कर दी है। मौके पर प्रार्थी का भाई डालू पिता हरिराम गुजर का पुत्र रूपलाल पिता डालू गुर्जर उक्त भूमि के नक्शा गत अनुसार सही करवाने एवं आराजी नं0 246 रकबा 0.10 हे0, 247 रकबा 0.08 हे0, 385 रकबा 0.04 कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हे0 भूमि प्रार्थी के नाम करवाने को सहमत होने से वर्तमान आराजी संख्या 245 का रकबा 1.08 हे0 दर्ज कर पुराने नक्शे अनुसार वर्तमान नक्शा दर्ज किया जाना न्यायोचित है अतएवं:—

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम चावण्डिया तहसील पटवार हल्का चावण्डिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्के आवादी में आराजी संख्या 203/3 रकबा 5 बीघा खातेदारी में दर्ज थी। ग्राम चावण्डिया में भूप्रबंध होने से प्रार्थी की पुरानी कृषि आराजी संख्या 203/3 रकबा 5 बीघा का वर्तमान रकबा 0.86 हे0 दर्ज कर दिया जो गलत है। जिस पर उक्त भूमि के नक्शा गत अनुसार सही करवाने एवं आराजी नं0 246 रकबा 0.10 हे0, 247 रकबा 0.08 हे0, 385 रकबा 0.04 कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हे0 भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज कर वर्तमान आराजी संख्या 245 का रकबा 1.08 हे0 किया जाकर व पुराने नक्शा अनुसार वर्तमान नक्शा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(किशोर पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:07:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner